(7)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुनरावलोकन रिव्यू-845-I-14

बृजमोहन पुत्र श्री बहादुरसिंह बघेल निवासी– ग्राम बेरखेड़ी बुजुर्ग, तहसील व जिला विदिशा, म0प्र0

—— आवेदक

बनाम

1. वीरेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह बघेल
2. बादामसिंह पुत्र हिम्मतसिंह बघेल
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह बघेल

निवासी– ग्राम बेरखेड़ी बुजुर्ग, तहसील व जिला विदिशा, म0प्र0

——अनावेदकगण

आज दि. 10-3-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

7

बृजमोहन विरूद्ध वीरेन्द्र सिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 845–एक / 14

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/3/15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 3210–पीबीआर / 12 में पारित आदेश दिनांक 8–1–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता हैं :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी । 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती । 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	